

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र)  
पत्रांक- 4230/रेनुकूट/ 15-108 दिनांक, रेनुकूट, जून, 11, 2020  
सेवा में,

महाप्रबन्धक  
नार्दन कोल फील्डस लि०  
बीना विस्तार परियोजना  
बीना-सोनभद्र ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि० की बीना परियोजना को बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/MIN/24551/2017 के संबंध में ।

संदर्भ:- आपका पत्र संख्या-बीना/पर्या०/बी०के०ए०यू०पी० फारेस्ट/20/07 दिनांक- 08.06.2020 प्राप्त दिनांक- 09.06.2020

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके द्वारा ऑन लाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है । उपलब्ध कराये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की जाँच करायी गयी । जाँचोपरान्त प्रस्ताव में कतिपय कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया जिसका विवरण संलग्न चेक लिस्ट में अंकित है

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में संलग्न चेक लिस्ट में इंगित की गयी कमियों का निराकरण कराते हुए प्रस्ताव की एक प्रति अपने नामित प्रतिनिधि के माध्यम से इस कार्यालय में भेजकर उसकी जाँच करा लें । जाँचोपरान्त सही पाये जाने पर उसकी पाँच प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें ।

आप द्वारा उपलब्ध कराये गये वन भूमि हस्तान्तरण की पाँचो प्रतियाँ तथा चेक लिस्ट इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एम०पी०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- 4230 अ/सम दिनांकित ।

1. प्रतिलिपि :उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिपरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. प्रतिलिपि: क्षेत्रीय वन अधिकारी, अनपरा को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि संलग्न चेक लिस्ट में इंगित की गयी कमियों के निराकरण हेतु एन०सी०एल० बीना परियोजना के नामित प्रतिनिधि द्वारा यदि आपसे सम्पर्क किया जाता है तो उन्हें आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें ।

(एम०पी०सिंह)


प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत अनपरा रेंज में नार्दन कोल फील्डस लि० की बीना परियोजना द्वारा बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु प्रस्तावित 30.5 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में सलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का चेक लिस्ट ।

क्र०सं०	अभिलेखों का विवरण	एन०सी०एल०बीना परियोजना द्वारा अभिलेखों को संलग्न किया गया है या नहीं	एन०सी०एल० द्वारा अभिलेख संलग्न किये जाने का श्रोत /अभ्युक्ति
1	फार्म -'क' के भाग-I,	नहीं	टंकित कराते हुए संलग्न किया जाय
2	फार्म -'क' के भाग-II	नहीं	प्रभाग से प्राप्त करते हुए संलग्न किया जाय ।
3	फार्म -'क' के भाग-III	नहीं	प्रभाग से प्राप्त करते हुए संलग्न किया जाय ।
4	फार्म -'क' के भाग-IV	नहीं	प्रभाग से प्राप्त करते हुए संलग्न किया जाय ।
5	फार्म -'क' के भाग- V	नहीं	प्रभाग से प्राप्त करते हुए संलग्न किया जाय ।
2	मानक शर्तें	है, किन्तु अपूर्ण है	मानक शर्तें अलग-अलग पेज पर टंकित कराते हुए संलग्न किया जाय
3	परियोजना की सक्षम स्तर से जारी स्वीकृति आदेश की प्रति	है	-
4	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के संबंध में प्रमाण- पत्र	नहीं	प्रमाण-पत्र टंकित कराते हुए संलग्न किया जाय ।
5	संयुक्त निरीक्षण प्रमाण -पत्र	है	-
6	प्रस्तावित वन भूमि में प्रभावित वृक्षों की प्रजातिवार एवं व्यासवार सूची वानस्पतिक नाम सहित	नहीं	क्षेत्रीय वन अधिकारी अनपरा से सम्पर्क स्थापित करते हुए प्रभावित वृक्षों की प्रजातिवार/व्यासवार सूची वानस्पतिक नाम सहित टंकित कराते हुए संलग्न किया जाय ।
7	परियोजना में प्रभावित वन भूमि से संबंधित गजट नोटिफिकेशन की प्रति	है , किन्तु अपूर्ण है	प्रभाग/रेंज से पूर्ण प्रति प्राप्त करते हुए संलग्न किया जाय ।
8	भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों के अनुपालन संबंधी वनचबद्धता पमाण-पत्र	नहीं	टंकित कराते हुए संलग्न किया जाय ।

9	प्रतिपूरक वनीकरण से संबंधित धनराशि जमा करने के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र	है	-
10	एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि जमा करने के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र	नही	टंकित कराते हुए संलग्न किया जाय ।
11	प्रभावित वन भूमि का ग्रामवार/गाटावार विवरण एवं लैण्ड शेड्यूल	है, किन्तु अपूर्ण है	प्रमाण-पत्र में राजस्व अमिलेखो में वन भूमि दर्ज होना दर्शाया गया है जबकि एन0सी0एल0के नाम दर्ज है इस त्रुटि का निराकरण किया जाय ।
12	वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति	है	एक प्रस्ताव में मूल प्रति संलग्न किया जाय ।
13	प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) के भुगतान किये जाने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र	है	-
14	परियोजना से 10 कि0मी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी /वन्य जीव विहार न होने के संबंध में प्रमाण-पत्र	है	-
15	प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट	नही	प्रभाग से प्राप्त करते हुए संलग्न किया जाय ।
16	जिलाधिकारी द्वारा जारी भूमि की वर्तमान बाजार दर	है, किन्तु अपूर्ण है	जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी अद्यतन दरे प्राप्त करते हुए संलग्न किया जाय ।
17	लीज अवधि प्रमाण-पत्र	है	-
18	प्रीमियम एवं लीज रेंज जमा करने संबंधी प्रमाण-पत्र	है, किन्तु शर्तो के साथ होने के कारण स्वीकार नहीं है ।	निर्विवादित प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय ।
19	अधिकार पत्र	है	-
20	कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र	नही	टंकित कराते हुए संलग्न किया जाय ।
21	प्रस्तावित भूमि वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र के रूप में सम्मिलित न होने के संबंध में प्रमाण-पत्र	नही	टंकित कराते हुए संलग्न किया जाय ।
22	मक डिस्पोजल योजना/ प्रमाण-पत्र	है, किन्तु अपूर्ण है	यदि मक का डिस्पोजल किया जाना हो तो उसकी योजना संलग्न किया जाय यदि उसका उपयोग किया जाना हो तो तदनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय ।
23	परियोजना से लाभान्वित होने वाले परिवारो का विवरण	है	-
24	परियोजना के वन क्षेत्र में स्थापित करने का	है	-

	औचित्य		
25	क्षतिपूरक वनीकरण की योजना/व्यय अनुमान पत्र 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित	नहीं	प्रभाग स्तर से प्राप्त करते हुए संलग्न किया जाय ।
26	सी0बी0ए0 एक्ट के तहत अधिग्रहित की गयी भूमि के संबंध में अधिग्रहण आदेश की प्रति ।	है , किन्तु अपूर्ण है	अलग-अलग पन्ना पर छाया प्रति कराते हुए उसे संलग्न किया जाय ।
27	परियोजना में प्रभावित गैर वन भूमि का ग्रामवार/गाटावार विवरण	नहीं	<del>संलग्न किया जाय</del>
28	लागत लाभ विश्लेषण	है	अलग-अलग पन्नों पर टंकित कराते हुए संलग्न किया जाय ।
29	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्रों का विवरण	नहीं	क्षेत्रीय वन अधिकारी अनपरा से सम्पर्क स्थापित करते हुए क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्रों का विवरण तैयार कराते हुए संलग्न किया जाय ।
30	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने संबंधी प्रमाण पत्र	नहीं	प्रभाग स्तर से प्राप्त करते हुए संलग्न किया जाय ।
31	एन0पी0वी0आंकलन प्रमाण-पत्र	नहीं	प्रभाग स्तर से प्राप्त करते हुए संलग्न किया जाय ।
32	पर्यावरणीय स्वीकृति आदेश की प्रति	नहीं	संलग्न किया जाय ।
33	प्रोजेक्ट रिपोर्ट	है	-
34	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र से संबंधित जी0ओ0रेफरेन्स मानचित्र	नहीं	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र से संबंधित जी0पी0एस0 लोकेशन क्षेत्रीय वन अधिकारी अनपरा से प्राप्त करते हुए उसके आधार पर जी0ओ0रेफरेन्स मानचित्र तैयार कराते हुए संलग्न किया जाय ।
35	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों से संबंधित सर्वे आफ इण्डिया की टोपोशीट	नहीं	संलग्न किया जाय
36	सर्वे आफ इण्डिया की टोपोशीट प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में	है, किन्तु अपूर्ण है	टोपोशीट में शीर्षक एवं लीजेण्ड अंकित नहीं है जिसे अंकित किया जाय ।
37	प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित जियो रेफरेन्स डिजिटल मानचित्र	है	-
38	प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित राजस्व मानचित्र	नहीं	राजस्व मानचित्र की पूरी शीट 100 प्रतिशत स्केल पर तैयार कराते हुए संलग्न किया जाय ।

  
 (एम०पी० सिंह)  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 रणकूट वन प्रभाग, रे